संख्या-812/53-2-2023

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश/
मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(3) निदेशक,
प्रशासन एवं विकास पशुपालन, विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 25 अगस्त, 2023

विषयः- "नन्द बाबा दुग्ध मिशन" के अन्तर्गत स्वदेशी गायों में नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु **"मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना"** के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। वर्तमान राज्य सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र-2022 में " नन्द बाबा दुग्ध मिशन" के अन्तर्गत आगामी 05 वर्षों में भी प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाये रखने का संकल्प लिया गया है। पशुपालकों में स्वदेशी गायों में नस्ल सुधार, उनकी बेहतर देखभाल, गुणवत्तायुक्त पोषण एवं स्वास्थ्य प्रतिरक्षा के प्रति अपेक्षित जागरूकता के अभाव के कारण स्वदेशी नस्ल की गायों की दुग्ध उत्पादकता अत्यन्त कम होने के कारण उनकी पर्याप्त संख्या होने के बावजूद प्रदेश के कुल दुग्ध उत्पादन में उनका योगदान अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। प्रदेश के पशुपालकों में उच्च उत्पादकता एवं गुणवत्ता वाली स्वदेशी नस्ल की गायों यथा गिर, साहीवाल, हरियाणा, गंगातीरी तथा थारपारकर को पालने की प्रवृति को प्रोत्साहित करने, उनको गायों में नस्ल सुधार, उनकी बेहतर देखभाल, गुणवत्तायुक्त पोषण एवं स्वास्थ्य प्रतिरक्षा के प्रति प्रेरित करने, दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि कर पशुपालकों की आय में वृद्धि करने तथा प्रदेश में प्रतिव्यक्ति दुग्ध उपलब्धता बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर पर लाने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में स्वदेशी उन्नत नस्ल एवं उच्च उत्पादकता की गायों यथा गिर, साहीवाल, हरियाणा, गंगातीरी तथा थारपारकर के प्रगतिशील पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने हेतु "नन्द बाबा दुग्ध मिशन" के अन्तर्गत **"मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना"** के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है।

2- इस सम्बन्ध में दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0 के पत्रांक-32/दुग्ध-9/दुग्ध उद्यो0/नन्दबाबा दुग्ध मिशन, दिनांक 02 मई, 2023 एवं पत्रांक-289/दुग्ध-9/नन्द बाबा दुग्ध मिशन/2023-24, दिनांक 21 अगस्त, 2023 के क्रम में एवं पशुधन विभाग उ0प्र0 तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना"** के क्रियान्वयन हेतु सम्यक विचारोपरान्त अनुवर्ती प्रस्तरों में निर्देश निर्गत किये जा रहें हैं।

3- **योजना का उद्देश्य :**

(i) प्रदेश में उच्च गुणवत्ता एवं उत्पादकता वाली स्वदेशी नस्ल की गायों को पालने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना।

(ii) पशुपालकों को गायों की नस्ल सुधार, उनकी बेहतर देखभाल, गुणवत्तायुक्त पोषण एवं स्वास्थ्य प्रतिरक्षा के लिए प्रेरित करना।

(iii) प्रदेश में दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि करके प्रदेश के पशुपालकों की आय में वृद्धि करना।

(iv) प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर पर लाना।

4- **योजना का स्वरूप :**

(i) यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू होगी।

(ii) योजना स्वदेशी नस्ल की गाय यथा-गिर, साहीवाल, हरियाणा, गंगातीरी एवं थारपारकर प्रजातियों पर लागू होगी।

(iii) एक गाय की उच्च उत्पादकता हेतु उसके जीवनकाल में केवल एक बार इस योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन का लाभ पशुपालक को दिया जायेगा।

(iv) यह योजना गायों के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ब्यॉत के लिए ही लागू होगी।

(v) प्रदेश के प्रगतिशील पशुपालक को अधिकतम 02 गायों के लिए केवल एक बार इस प्रोत्साहन का लाभ देय होगा।

5- **योजनान्तर्गत प्रोत्साहन :**

प्रदेश के स्वदेशी नस्ल की उच्च उत्पादकता एवं उन्नत नस्ल की गायों को पालने वाले प्रगतिशील पशुपालकों को प्रोत्साहित करने हेतु पशुपालकों को चयनित कर ₹ 10000.00 से ₹ 15000.00 प्रति गाय की दर से **(संलग्नक-1)** के अनुसार नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाएगा।

उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के अनुरूप मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन की युक्तियुक्त संस्तुति पर शासन द्वारा प्रत्येक स्वदेशी उन्नत नस्ल की गाय हेतु लाभार्थियों की संख्या को यथावश्यकता सीमित किया जा सकता है।

6- **आवेदन हेतु पात्रता :**

(i) आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो।

(ii) आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।

(iii) योजना व्यक्तिगत लाभार्थी परक होने के कारण समूह/फर्म/संगठन इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु अनर्ह होंगे।

(iv) आवेदन, गाय की ब्यॉत (Calving) की तिथि से 45 दिन के अन्दर करना होगा।

(v) उन्नत नस्ल एवं उच्च उत्पादकता की स्वदेशी गायों यथा-गिर, साहीवाल, हरियाणा,

गंगातीरी एवं थारपारकर गाय के प्रगतिशील गौपालक एक बार अधिकतम दो गाय प्रति पशुपालक प्रोत्साहन राशि हेतु पात्र होंगे।

(vi) किसी स्वदेशी नस्ल की गाय के लिए गाय के जीवन काल में केवल एक बार ही पशुपालक, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

7- **आवेदन की प्रक्रिया :**

(i) समस्त आवेदन नन्द बाबा दुग्ध मिशन के पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक-2)** पर ऑनलाईन किये जायेगें, परन्तु पोर्टल ऑनलाईन होने तक पशुपालकों द्वारा आवेदन ऑफलाईन मॉड में सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अथवा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में सीधे अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ii) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ स्वतः अभिप्रमाणित कर उपलब्ध कराये जाने वाले प्रपत्र :

(क) पशुपालक के आधार कार्ड की छायाप्रति।

(ख) गाय की पहचान हेतु माइक्रोचिप्स/ईयर टैगिंग सिस्टम अथवा पहचान की किसी भी मान्यता प्राप्त प्रणाली का प्रमाण-पत्र एवं पहचान संख्या।

(ग) गाय के क्रियाशील बीमा का विवरण।

(घ) पशुपालक के बैंक पासबुक की छायाप्रति/कैन्सिल चेक।

(च) गाय के साथ पशुपालक का पूर्ण फोटोग्राफ।

(छ) पशुपालक का इस आशय का नोटरी शपथ-पत्र कि गाय को उसके जीवनकाल में एक बार भी प्रोत्साहन का लाभ नहीं प्राप्त हुआ है तथा गाय प्रथम/द्वितीय/तृतीय ब्यॉत की है।

8- **प्रगतिशील पशुपालक की गाय की दुग्ध उत्पादकता का स्थलीय सत्यापन :**

(i) आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त सर्वप्रथम सम्बन्धित जनपद के उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/जिला समन्वयक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन द्वारा आवेदन का स्थलीय सत्यापन किया जाएगा। तत्पश्चात् उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/ जिला समन्वयक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन द्वारा स्थलीय सत्यापन समिति के माध्यम से पशुपालक की स्वदेशी नस्ल की गाय की दुग्ध उत्पादकता का स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा।स्थलीय सत्यापन समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा :

(क) सम्बन्धित जनपद के उप दुग्धशाला विकास अधिकारी द्वारा नामित वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक/दुग्ध निरीक्षक/राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक।

(ख) सम्बन्धित विकास खण्ड के पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित पशुधन प्रसार अधिकारी।

(ii) स्थलीय सत्यापन समिति द्वारा लगातार 02 दिन 04 दुहान (प्रातः एवं सायं) के आधार पर गाय की दैनिक दुग्ध उत्पादकता का निर्धारण किया जायेगा। 04 दुहान का तात्पर्य यह है कि प्रथम दुहान के बाद गाय का थन (Udder) खाली हो जायेगा तत्पश्चात द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ दुहान से वास्तविक दुग्ध उत्पादन उपलब्ध होगा। गाय के एक दिन के दुग्ध उत्पादन की गणना **(संलग्नक-03)** के अनुसार की जायेगी।

(iii) स्थलीय सत्यापन समिति द्वारा गाय की दुग्ध उत्पादकता का निर्धारण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर किया जायेगा।

(iv) स्थलीय सत्यापन समिति द्वारा किये गये सत्यापन में से पांच प्रतिशत पशुपालकों का रैण्डम आधार पर द्वितीय सत्यापन, सम्बन्धित जनपद की डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा कराया जाएगा।

9- **प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत करने की प्रक्रिया :**

पशुपालक द्वारा किये गये आवेदन पत्र का सत्यापन एवं दुग्ध उत्पादकता के सम्बन्ध में स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत जनपद में गठित डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी की संस्तुति प्राप्त की जायेगी। डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी की संस्तुति के आधार पर परीक्षणोपरान्त स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट, नन्द बाबा दुग्ध मिशन चयनित लाभार्थी को एक माह के भीतर एकमुश्त अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से अवमुक्त करने हेतु सक्षम होगी।

10- **नोडल एजेन्सी :**

योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु "नन्द बाबा दुग्ध मिशन सोसायटी "नोडल एजेन्सी होगी।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में **"मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना"** के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोक्त।</u>

भवदीय,
Signed by डा0 रजनीश दुबे
Date: 24-08-2023 14:50:55
Reason: Approved
(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्याः-812(1)/53-2-23, तद्दिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मा0 दुग्ध विकास मंत्री, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पशुधन, वित्त, ग्राम्य विकास, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश।
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संलग्नक-01

"मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत चयनोपरान्त प्रगतिशील पशुपालक को दिये जाने वाले पुरस्कार का विवरण

साहीवाल गाय हेतु

प्रतिदिन (बेंचमार्क किलोग्राम में)	प्रोत्साहन धनराशि
08 से 12 कि0ग्रा0 तक	रू0 10,000.00
12 कि0ग्रा0 से अधिक	रू0 15,000.00

गिर गाय हेतु

प्रतिदिन (बेंचमार्क किलोग्राम में)	प्रोत्साहन धनराशि
08 से 12 कि0ग्रा0 तक	रू0 10,000.00
12 कि0ग्रा0 से अधिक	रू0 15,000.00

थारपारकर गाय हेतु

प्रतिदिन (बेंचमार्क किलोग्राम में)	प्रोत्साहन धनराशि
08 से 12 कि0ग्रा0 तक	रू0 10,000.00
12 कि0ग्रा0 से अधिक	रू0 15,000.00

हरियाणा गाय हेतु

प्रतिदिन (बेंचमार्क किलोग्राम में)	प्रोत्साहन धनराशि
07 से 10 कि0ग्रा0 तक	रू0 10,000.00
10 कि0ग्रा0 से अधिक	रू0 15,000.00

गंगातीरी गाय हेतु

प्रतिदिन (बेंचमार्क किलोग्राम में)	प्रोत्साहन धनराशि
07 से 08 कि0ग्रा0 तक	रू0 10,000.00
08 कि0ग्रा0 से अधिक	रू0 15,000.00

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

"मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना" हेतु आवेदन पत्र

कार्यालय के उपयोगार्थ

आवेदन संख्या-

दिनांक –

आवेदक का पासपोर्ट साइज़ का स्वहस्ताक्षरित रंगीन फोटो

....

आवेदक द्वारा भरा जायेगा

1- आवेदक का नाम...

2- आवेदक के पिता/पति का नाम..

3- शैक्षणिक योग्यता ....

4- आधार संख्या-

5- उम्र - वर्ष [ ] माह [ ] दिन [ ]

6- आवेदक का पता - . ...

....

....

पिन- [ ]

7- मोबाइल/दूरभाष संख्या-

8- वर्तमान में आवेदक के पास उपलब्ध गायों की संख्या..

9- वर्तमान में आवेदक के पास उपलब्ध गायों की नस्ल/प्रजाति एवं प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन का विवरण-

क्र0सं0	गायों की नस्ल/ प्रजाति	ईयर टैग संख्या	गायों की ब्यांत संख्या	गायों के बीमा की स्थिति	संतति पैदा होने की तिथि	प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन (कि0ग्रा0 में)

10- वर्तमान में आवेदक के पास कुल उत्पादित दूध की मात्रा (कि0ग्रा0 में) ....

11- वर्तमान में उपलब्ध सरप्लस/विक्रय योग्य दूध (कि0ग्रा0 में).......................................

12- वर्तमान में उत्पादित दूध के लिये उपलब्ध बाजार...

13-आवेदक -

I. दुग्ध समिति के सदस्य हैं- ☐ (हाँ/नहीं)

II. डेयरी से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं- ☐ (हाँ/नहीं)

14- निकटतम राजकीय पशु चिकित्सालय की दूरी (किलोमीटर में).......................

15- बैंक खाते का विवरण (जिसमें प्रोत्साहन धनराशि अवमुक्त की जानी है)-

I. बैंक खाता संख्या ....

II. बैंक शाखा का नाम ....

III. IFSC कोड ....

IV. बैंक शाखा का पता ....

पिन- ☐

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती..............................घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी सही है तथा गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाय।

स्थान-..

दिनांक-...

आवेदक का हस्ताक्षर

<u>अनिवार्य अनुलग्नक-</u>

(क) पशुपालक के आधार कार्ड की छायाप्रति।

(ख) गाय की पहचान हेतु माइक्रोचिप्स/ईयर टैगिंग सिस्टम अथवा पहचान की किसी भी मान्यता प्राप्त प्रणाली का प्रमाण-पत्र एवं पहचान संख्या।

(ग) गाय के क्रियाशील बीमा का विवरण।

(घ) पशुपालक के बैंक पासबुक की छायाप्रति/कैन्सिल चेक।

(च) गाय के साथ पशुपालक का पूर्ण फोटोग्राफ।

(छ) इस आशय का नोटरी शपथ-पत्र कि आवेदक की गाय को उसके जीवनकाल में एक बार भी प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तथा गाय प्रथम/ द्वितीय/तृतीय ब्यॉत की है।

करूणेश कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

संलग्नक-03

"मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत स्वदेशी नस्ल की गायों के प्रतिदिन दूध का आगणन-प्रपत्र

1- आवेदन संख्या ....
2- आवेदक का नाम एवं पता ....
3- दुहान का स्थान ....
4- पशुओं की पहचान हेतु माइक्रोचिप्स/ ईयर टैगिंग सिस्टम अथवा पहचान की किसी भी मान्यता प्राप्त प्रणाली का प्रमाण-पत्र एवं पहचान संख्या ....
5- स्वदेशी गाय की नस्ल ....
6- ब्यॉत की तिथि ....
7- संतति (नर/मादा) ....
8- दुहान का विवरण:

	प्रथम दुहान की मात्रा/थन खाली करना (कि0ग्रा0 में)	द्वितीय दुहान की मात्रा (कि0ग्रा0 में)	तृतीय दुहान की मात्रा (कि0ग्रा0 में)	चतुर्थ दुहान की मात्रा (कि0ग्रा0 में)
	1	2	3	4
दिनांक				
समय				
उपार्जित दूध की मात्रा(कि0ग्रा0 में)				

(i) कुल दुग्ध उपार्जन की मात्रा (कॉलम 2+3+4 का योग) कि0ग्रा0 में ....
(ii) प्रतिदिन दूध की औसत आगणित मात्रा (कॉलम 2+3+4 का योग × 2/3) कि0ग्रा0 में............

प्रमाणित किया जाता है कि "मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत स्वदेशी उन्नत नस्ल की .... गाय के प्रतिदिन दूध का उत्पादन........................कि0ग्रा0 है। उक्त दुग्ध उत्पादन के अनुसार आवेदक श्री/श्रीमती/सुश्री.. को प्रोत्साहन दिये जाने/नहीं दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

<u>सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर</u>

वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक/दुग्ध निरीक्षक
/राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक
के हस्ताक्षर तिथि व मुहर सहित

पशुधन प्रसार अधिकारी
के हस्ताक्षर तिथि व मुहर सहित

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।